न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 60/16/दावा

1. संतोष देवी पत्नी स्व. मदनलाल उम्र 40 वर्ष
2. पिंकी पुत्री स्व. मदनलाल उम्र 21 वर्ष
3. जयपाल पुत्र स्व. मदनलाल उम्र 18 वर्ष
   जाति जाट निवासीगण ग्राम चंदेली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. रोनक पुत्री स्व. मदनलाल
5. राजेश्वरी पुत्री स्व. मदनलाल
   अव्यस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता संतोषदेवी पत्नी स्व. मदनलाल जाति जाट नि. ग्राम चंदेली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीगण

ब ना म

1. घीसाराम पुत्र नाथूराम जाति जाट नि. ग्राम चंदेली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा मण्ढा—सुरेरा तहसील दांतारामगढ
3. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति—

1. श्री शिवपालसिंह वकील वादीगण की ओर से
2. श्री बजरंगसिंह शेखावत वकील प्रतिवादी सं. 2 की ओर से

निर्णय दिनांक— 11.02.2017

1. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादग्रस्त कृषि भमियां खसरा नं. 19 रकबा 2.28 है. जिसके नये खसरा नं. 28 रकबा 2.28 है. वाके ग्राम चंदेली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है उपरोक्त भूमि के वादीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। ग्राम चंदेली का बास नया राजस्व ग्राम घोषित होने के कारण उपरोक्त भूमियां वर्तमान ग्राम चंदेली का बास में अवस्थित है। उपरोक्त भूमियों में से वादीनी सं. 1 के पति एवं वादी सं. 2 ता 5 के पिता ने अपने हिस्से 1/8 में से 1/10 हिस्से की भूमि का बेचान मय इसमें बनेय कूप में से हिस्से 1/2 का प्रतिवादी सं. 1 को दिनांक 24.08.1993 को किया गया। उपरोक्त विकय पत्र उप पंजीयक, दांतारामगढ में पंजीबद्ध है। उपरोक्त विकय पत्र के तहत खातेदारी जरिये ना.करण सं. 302 दिनांक 25.08.1993 के तहत दर्ज हुई। उपरोक्त विकय पत्र के तहत दर्ज ना.करण सं. 302 दिनांक 25.08.1993 में हिस्सेदारी गलत रूप से प्रतिवादी सं. 1 के नाम उपरोक्त भूमि में खरीदशुदा हि. 1/10 दर्ज कर दिया गया जबकि उपरोक्त 1/10 हिस्सा वादीनी सं. 1 के पति एवं वादीगण सं. 2 ता 5 के पिता मदनलाल पुत्र लिखमाराम ने

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

अपने हिस्से 1/8 में से हिस्सा 1/10 बेचान किया गया था। इसलिए उपरोक्त विकय पत्र के तहत हिस्सा संपूर्ण में से 1/80 प्रतिवादी सं. 1 के नाम एवं हिस्सा संपूर्ण में से 9/80 वादीनी सं. 1 के पति एंव वादी सं. 2 ता 5 के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। इसलिए उपरोक्त विकय पत्र के तहत दर्ज ना.करण सं. 302 दिनांक 25.08.1993 बिना राजस्व रिकार्ड का मिलान किये वगैर गलत हिस्सेदारी दर्ज कर गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। उपरोक्त भूमियों में वादीगण की हिस्सेदारी गलत रूप से दर्ज हो जाने की जानकारी वादीगण को होने पर वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को रिकार्ड दुरूस्त करवा लेने के लिए कहने पर प्रतिवादी सं. 1 ने इनको रिकार्ड दुरूस्त करवा लेने का आश्वासन दे दिया, परन्तु बार बार निवेदन करने के पश्चात् भी प्रतिवादी सं. 1 द्वारा रिकार्ड दुरूस्त नहीं करवाने के कारण दिनांक 05.04.2016 को प्रतिवादी सं. 1 रिकार्ड दुरूस्त करवाने से इंकार हो गये तथा वादीगण को यह धमकी दे डाली कि मैं तो वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्सेदारी के अनुसार वादग्रस्त भूमियों का बेचान भूमाफिया गिरोह के लोगों कर दूंगा जो अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित करवाकर कब्जा वादग्रस्त भूमियों के मनचाहे भूभाग पर कर लेंगे। इसलिए ना.करण सं. 302 दिनांक 25.08.1993 को निरस्त किया जाकर मुताबिक विकय पत्र हिस्सेदारी दुरूस्त की जाकर उपरोक्त भूमियों में विकय पत्र दिनांक 24.08.1993 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वाद कारण दिनांक 05.04.2016 को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा मुताबिक विकय पत्र दिनांक 24.08.1993 के मुताबिक रिकार्ड दुरूस्त करवाने से इंकार होकर वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में गलत दर्ज के अनुसार प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त भूमियों का बेचान, हस्तांतरण, भू माफिया गिरोह के लोगों को कर देने की धमकियां देने एवं वर्तमान में भी ऐसी कुचेष्टाओं में संलग्न होने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रतिक्षण निरस्त रूप से चालू है। प्रतिवादी सं. 2 को रहन ग्रहिता के रूप में औपचारिक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। प्रतिवादी सं. 3 को भूधारक के रूप में औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। अन्य सह खातेदारों के खिलाफ प्रस्तुत प्रकरण में कोई रिलीफ नहीं चाहे जाने के कारण प्रस्तुत प्रकरण में उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। विवादास्पद भूमियां वाके ग्राम चंदेली का बास प.मं. धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद सुनवाई करने का समुचित क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार है। अंत में यह इश्तदुआ चाही है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमियां खसरा नं. 19 रकबा 2.28 है0 वाके ग्राम धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर जिसके नये खसरा नं. 28 रकबा 2.28 है. में मुताबिक विकय पत्र दिनांक 24.08.1993 के वादीगण को हिस्सा 1/8 में हिस्सा संपूर्ण में से 9/80 एवं प्रतिवादी सं. 1 को हिस्सा 1/8 में हिस्सा संपूर्ण में से 1/80 का काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावें इसी अनुसार उराजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें, तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन व अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वाद पत्र की मद सं. 1 मे वर्णित भूमि नये खसरा नं. चंदेली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित भूमि वादीगण के हक हिस्से की भूमि को खुर्द बुर्द करने, बेचान करने, रहन रखने, राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति में परिवतर्न करने करवाने आदि व किसी भी भी रूप में दखलंदाजी करने से बाज रहे। वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी ग्राम धोलासरी व चंदेलीका बास व ना.करण की नकलें संलग्न की है।

उपखण्ड अधिकारी, दाँतारामगढ़

Scanned by CamScanner

2. वाद पत्र पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 3 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से वकील श्री बजरंगसिंह शेखावत ने वकालतनामा पेश किया गया व जवाब पेश कर निवेदन किया है कि बकाया ऋणियों का ऋण जमा न हो तब तक ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करें जिससे उतरदाता सं. 2 के वसूली व रहन नामा में किसी प्रकार का रद्दो बदल न हो तथा ऋण वसूली में बाधा उत्पन्न न हो। प्रतिवादी सं. 2 की बकाया ऋण राशि को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश फरमाने की कृपा करें एवं प्रतिवादी सं. 1 स्वयं हाजिर हुए एवं इकबालिया जवाब पेश किया गया। पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में पेश हुई।
3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 ने वाद में वर्णित तथ्यों एवं जवाब तथ्यों को बहस के दौराना दोहराया गया।
4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम धोलासरी व ग्राम चंदेली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। खातेदार मदनलाल पुत्र लिखमाराम जाति जाट नि. चंदेलीका बास तहसील दांतारामगढ द्वारा विवादित आराजी ख.नं. 19 रकबा 2.28 है. वाके ग्राम चंदेली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में से अपने हिस्से 1/8 में से 1/10 हिस्से की करीबन 0.03 है0 भूमि मय इस 0.03 है. में बने कूए (गै.मु. चाह) संपूर्ण में 1/2 हिस्से सहित बेचान केता घीसाराम पुत्र नाथूराम जाति जाट नि. चंदेलीका बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को किये जाने पर नां.करण सं. 302 भरकर तस्दीक किया गया लेकिन लिपिकीय त्रुटिवश घीसाराम पुत्र नाथूराम जाट हि. 1/10 मदनलाल पुत्र लिखमा हि. 1/14 दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी मदनलाल द्वारा अपने 1/8 हिस्से में से 1/10 हि. यानि संपूर्ण में से 1/80 हि. का बेचान प्रतिवादी सं. 1 को किया गया था शेष हि0 9/80 अपने पास रखा गया। इस प्रकार प्रार्थीगण/वादीगण को शेष हिस्से की उद्घोषणा की जाना उचित है एवं प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से की दुरूस्ती की जानी न्यायोचित है। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने इकबालिया जवाब में भी दुरूस्ती की जाने में कोई एतराज नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं. 2 को उक्त दुरूस्ती/उद्घोषणा से कोई दिक्कत नहीं होगी। चूंकि विकेता मदनलाल पुत्र लिखमा की मृत्यु हो चुकी है इसलिए वाद डिकी किया जाना न्यायोचित हैं। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। ग्राम चंदेली का बास प.मं. धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की विवादित आराजियात खसरा नं.19 रकबा 2.28 है. जिसके नये खसरा नं. 28 रकबा 2.28 है. में से मुताबिक विकय पत्र दिनांक 24.08.1993 के वादीगण के हि. 1/8 में से हिस्सा संपूर्ण में से 9/80 एवं केता प्रतिवादी सं. 1 को हिस्सा 1/8 संपूर्ण में से 1/80 हि. का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा वर्तमान जमाबंदी में खातेदार मदनलाल व उनके वारिसान का हि. 1/40 हिस्सा व खातेदार घीसाराम पुत्र नाथूराम हि. 1/10 हि. हजफ किया जाता हैं। तद्नुसार डिकी जारी हो। तद्नुसार तहसीलदार, दांतारामगढ को अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।
5. यह आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास सत्यवीर यादव, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 60/16/दावा

1. संतोष देवी पत्नी स्व. मदनलाल उम्र 40 वर्ष
2. पिंकी पुत्री स्व. मदनलाल उम्र 21 वर्ष
3. जयपाल पुत्र स्व. मदनलाल उम्र 18 वर्ष
   जाति जाट निवासीगण ग्राम चंदेली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. रोनक पुत्री स्व. मदनलाल
5. राजेश्वरी पुत्री स्व. मदनलाल
   अव्यस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता संतोषदेवी पत्नी स्व. मदनलाल जाति जाट नि. ग्राम चंदेली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—वादीगण

ब ना म

1. घीसाराम पुत्र नाथूराम जाति जाट नि. ग्राम चंदेली का बास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा मण्ढा—सुरेरा तहसील दांतारामगढ
3. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

उपस्थिति—

1. श्री शिवपालसिंह वकील वादीगण की ओर से
2. श्री बजरंगसिंह शेखावत वकील प्रतिवादी सं. 2 की ओर से

निर्णय दिनांक— 11.02.2017

(सत्यवीर यादव)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास सत्यवीर यादव, आरएएस

संतोष देवी आदि — बनाम — घीसाराम आदि

दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांक 11.02.2017

मुकदमा नं0 60/दावा/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू सत्यवीर यादव आरएएस बहाजरी श्री शिवपालसिंह वकील मिनजानिब मुददई वकील श्री बजरंगसिंह शेखावत मिनजानिब मुददालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है। ग्राम चंदेली का बास प.मं. धोलासरी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की विवादित आराजियात खसरा नं.19 रकबा 2.28 है. जिसके नये खसरा नं. 28 रकबा 2.28 है. में से मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 24.08.1993 के वादीगण के हि. 1/8 में से हिस्सा संपूर्ण में से 9/80 एवं केता प्रतिवादी सं. 1 को हिस्सा 1/8 संपूर्ण में से 1/80 हि. का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा वर्तमान जमाबंदी में खातेदार मदनलाल व उनके वारिसान का हि. 1/40 हिस्सा व खातेदार घीसाराम पुत्र नाथूराम हि. 1/10 हि. हजफ किया जाता हैं। तद्नुसार डिकी जारी हो। तद्नुसार तहसीलदार, दांतारामगढ को अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

बीज ..... मुबलिग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11 फरवरी, 2017 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

ओहदा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी देवी	4	00	स्टाम्प वकायलतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	3	00			
मीजान	8	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner